राजस्थान सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

अधिकारी :– जोगेन्द्र सिह आर0ए0एस0

संख्या :– 271/2024 फ़ौ०फा

ी s/o मेवाराम गुर्जर नि० साल्या - तह० करेड़ा

प्रार्थी

बनाम

गरू s/o काना गुर्जर नि० साल्या - तह० करेडा आदि

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

दिनांक 22/10/24

:: आदेश ::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम साल्या...... पटवार हल्का कीडीमाल.. तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 86,87 आराजी नम्बर 3657/557, 3658/557,.. कुलकिता 2..... रकबा 0.3920............हैक्टेयर भूमि । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8/8/24......... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को ार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते र्गेक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

ार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... साल्या............ पटवार हल्का कीडीमाल.................. तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या जी नम्बर 3657/557, 3658/557,...कुलकिता 2...... रकबा 0.3920.......... हैक्टेयर भूमि तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. ...रा.ट......को 450/-......./– रुपये कमिशनर फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर र्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल ने पर पत्थरगढी नही की जावे।

– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर करेड़ा)

पि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा)